बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (किशनगंज)–02–115/2026–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

समाहर्त्ता, किशनगंज का पत्रांक–3828/जि0रा0 दिनांक–22.09.2026 द्वारा श्री निश्चल प्रेम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पोठिया, किशनगंज के विरूद्ध पंचायत आम निर्वाचन–2021 के सम्पादन के दौरान राजकीय कोष को भारी छति पहुँचाते हुए आर0के0 इन्टरप्राइजेज, ठाकुरगंज नामक फर्म को बिना किसी विधिक आधार एवं कार्य सत्यापन के मो0–11,51,000/– (ग्यारह लाख इक्यावन हजार) रूपये मात्र का संदिग्ध एवं अवैध भुगतान करने, अवैध वित्तीय लाभ पहुँचाने के दुर्भाग्यपूर्ण उद्येश्य से सरकारी संचिकाओं में व्यापक हेराफेरी करने, दो सामानांतर संचिकाएँ संधारित करने, नोटशीट पर बैकडेटिंग करने एवं वास्तविक कार्य करने वाले वेंडर (डी0 लोकनाथ) के साथ धोखाधड़ी के उद्येश्य से बाहरी फर्म के नाम पर फर्जी विपत्र तैयार करने तथा रोकड़वही में मो0–10,96,000/– (दस लाख छियानवे हजार) रूपये मात्र की फर्जी प्रविष्टि करने से संबंधित आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

2. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री प्रेम द्वारा संचिकाओं में कुटसूची/बैकडेटिंग करने, सरकारी धन की गबन करने एवं बिना वैद्य कार्यादेश निर्गत किए बिना सरकारी कोष से अवैध भुगतान करने तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री प्रेम के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

4 इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, किशनगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को यचउपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री प्रेम से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, किशनगंज/अपर समाहर्त्ता, किशनगंज/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज/श्री निश्चल प्रेम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पोठिया, किशनगंज सम्प्रति अंचल अधिकारी, दरभंगा सदर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

निबंधित/
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (किशनगंज)–02–115/2026– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, किशनगंज/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज/श्री निश्चल प्रेम, अंचल अधिकारी, दरभंगा सदर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. समाहर्त्ता, किशनगंज से अनुरोध है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को आरोप से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक–15/आरोप (किशनगंज)–02–115/2026– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, किशनगंज को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (किशनगंज)–02–115/2026– 2054 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 03/11/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/10/26

(डॉ0 महेन्द्र पाल),
अपर सचिव।